निर्णय बइजलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्याः–57/2019(रे0वाद)
दायर दिनांकः– 08/08/2019
निर्णय दिनांकः–10/11/2025

अनवान

1. सुन्दरकंवर पत्नी सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी मियाला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये पुजारी बाबा रागदेव मन्दिर मियाला

–––वादिया

बनाम

1. शंभूसिंह जाति रूपसिंह जाति राजपूत निवासी मियाला थाना देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. प्रतापसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी मियाला थाना देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. भोमसिंह पिता भूरसिंह जाति राजपूत निवासी मियाला थाना देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. लक्ष्मण रावल पिता गिरधारी रावल निवासी मियाला थाना देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. बद्रीरावल पिता दल्ला रावल निवासी मियाला थाना देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. रामा रावल पिता भूरा रावल निवासी मियाला थाना देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. उगमा रावल पिता काना रावल निवासी मियाला थाना देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, उदयपुर

–––प्रतिवादीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.)

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – श्री लादूनाथ योगी, अधिवक्ता

: : निर्णय : :

आज यह प्रार्थना पत्र सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 07 नियम 11 के अन्तर्गत बाबत निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 25/02/2019 में एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया। दिनांक प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण को दो तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 16/09/2019 में यह अन्तर्विष्ट किया गया हैं कि वादिया सुन्दरकंवर पत्नी सवाईसिंह को उक्त वाद पेश करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त वाद में विवादित जमीन खाता संख्या 197 आराजी संख्या 188, 1930/2 कुल किता 02 रकवा 13–13 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रामदेव जी स्थान मियाला के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित जमीन में वादिया ना तो खातेदार है और ना ही उक्त भूमि के हितबद्ध पक्षकार है। उक्त भूमि बाबत् पेश जनहित मामला है जिसमें एक पक्षकार द्वारा वाद पेश नहीं किया जा सकता है। वादिया सुन्दरकंवर महिला होकर हिन्दू धर्म में मंदिर

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

पुजारी नहीं हो सकती। हिन्दू समाज में मंदिर के पुजारी पुरूष ही होते है। अतः उपरोक्त 05 बिन्दुओं के आधार पर वादिया द्वारा पेश वाद प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधे ही प्रार्थना पत्र बहस हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क है कि इस वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादिया को कानूनी कार्यवाही का अधिकारी नहीं है। हिन्दु धर्म में केवल पुरूष पुजारी होते है। इसलिए वादी द्वारा वाद दायर किया गया जो विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता वादी दौराने बहस कथन किया कि पूर्व का दावा अंतिम रूप से मेरिट पर निस्तारण दिनांक 25/02/2019 हुआ है, वादिया ने पुजारी की हैसियत से वाद पत्र पेश किया गया है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का विवचेन किया गया।

आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता वादपत्र को नामंजूर किए जाने का संदर्भवश निम्न दशाओ को उपबंधित करता हैं :–

> 1. Rejection of plaint.— The plaint shall be rejected in the following cases:—
>
> (a) where it does not disclose a cause of action;
>
> (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
>
> (c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
>
> (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;
>
> 1 [(e) where it is not filed in duplicate;]
>
> 2[(f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9:]

उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय का विचारः–

1- वाद कारण(Cause of Action) का अभाव–Order 07 Rule 11(a) CPC –
वादी ने अपने वाद में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि वादी विवादित भूमि का स्वामी है, वैध कब्जाधारी है एवं वादी का उस भूमि से कोई संरक्षित अधिकार प्राप्त है। केवल धार्मिक गतिविधि में सहभागिता या परंपरा का

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उल्लेख, काननी अधिकार का प्रमाण नहीं माने जा सकते। अतः वाद बिना किसी वास्तविक वाद कारण का है।

2- मांग की गई राहत कानूनन न देय Order 07 Rule 11(d) CPC –
प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि भूमि देवस्थान विभाग के नाम दर्ज है। निर्माण/प्रवेश/ उपयोग संबंधी अधिकार का नियमन विभाग द्वारा किया जाता है। वादी द्वारा मांगी गई स्थाई निषेधाज्ञा स्वयं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/देवस्थान नियमावली के विपरीत है। जब अधिकार सिद्ध ही नहीं है तो संरक्षण या स्थायी निषेधाज्ञा की मांग अविधिक बन जाती है।

यह स्पष्ट है कि वाद हेतुक स्पष्ट होने के साथ–साथ वादी के अनुतोष का वैध आधार तत्व होना चाहिए।

अतः वादी का दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–(डी) विधि द्वारा वर्जित होने के आधार प्रतीत होने तथा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–ए के तहत वादी पर बिना वाद–हेतुक उत्पन्न हुए दावा प्रस्तुत करने का आक्षेप प्रथमदृष्टया प्रमाणित प्रतीत होने के आधार पर वादी का दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–ए तथा डी के तहत खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के तहत वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–डी विधि द्वारा वर्जित होने के आधार प्रतीत होने तथा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–ए के तहत वादीगण पर बिना वाद हेतुक उत्पन्न हुए दावा प्रस्तुत करने का आक्षेप प्रथम दृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होने के आधार पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–ए तथा डी के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–ए तथा डी के अनुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10/11/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(मोहकम सिंह सिनसिनवार)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द